राजस्थान सरकार
तकनीकी शिक्षा विभाग

क्रमांक–प– 23(2)त.शि/2011 पार्ट   जयपुर, दिनांक– 28-1-16

–ःआदेशः–

राज्य के पोलीटेक्निक महाविद्यालयों में 25 प्र.श. से कम प्रवेश के आधार पर ब्रांच / विशिष्ठता के छात्रों को अन्य पोलीटेक्निक महाविद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार नीति निर्धारित की जाती है:–

क. सं0	विवरण	शर्तें	कलेण्डर
1.	Specific to Diploma courses colleges having less than 25% approved intake of students in a particular branch / specialization, internal sliding may be allowed in Ist year against vacant seats available in other branches of same college.	छात्रों की मैरिट के आधार पर	छात्रों द्वारा उनको आवंटित संस्थानों में रिपोर्टिंग करने की अंतिम तिथि के 07 दिवस पश्चात संस्थानों से रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त कर अगले 07 दिनों में छात्रों से ऑप्शन फार्म भरवाकर अगले 07 दिनों में स्थानान्तरण किया जाकर संपूर्ण प्रक्रिया 21 दिन के अंदर पूर्ण कर ली जाए।
2.	Under such circumstances, where a college wishes to discontinue and students give consent, students may be transferred to other colleges on vacant seats of same branch/ program.	• समस्त छात्रों की सहमति/विकल्प के आधार पर संस्थान की सहमति तथा मैरिट के आधार पर • द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों का स्थानान्तरण प्रथम व द्वितीय वर्ष की मैरिट के आधार पर किया जायेगा।	छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के 07 दिवस के अन्दर संस्थानों से रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त कर अगले 07 दिनों में छात्रों से ऑप्शन फॉर्म भरवाकर अगले 07 दिनों में स्थानान्तरण किया जाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया 21 दिवस के अन्दर पूर्ण कर ली जाए।
3.	In colleges having less than 25% of approved and students complain about facilities/Faculty /Infrastructure etc., BTER shall investigate the matter through sudden inspection and in case of adverse report, BTER may recommend transfer of students, if necessary.	द्वितीय व तृतीय वर्ष के छात्रों का स्थानान्तरण प्रथम व द्वितीय वर्ष की मैरिट के आधार पर किया जायेगा।	प्रथम, द्वितीय या तृतीय वर्ष में प्रवेश लेने के एक माह के दौरान की गयी शिकायतों के आधार पर निदेशक, तकनीकी शिक्षा अगले 15 दिन में औचक निरीक्षक करवाकर अगले 7 दिन में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगें व निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर अगले 7 दिन में राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया जावेगा। इसके पश्चात 07 दिवस के अन्दर संस्थानों से रिक्त स्थानों की सूचना प्राप्त कर अगले 07 दिनों में छात्रों से ऑप्शन फॉर्म भरवाकर अगले 07 दिनों में स्थानान्तरण किया जाकर सम्पूर्ण प्रक्रिया 21 दिवस के अन्दर पूर्ण कर ली जाए। स्थानान्तरण की समस्त कार्यवाही मैरिट के आधार पर सम्पादित की जावेगी।

पृष्ठ....2

अध्यक्ष एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर उपरोक्त आधार पर समस्त प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करेगें।

आज्ञा से,

28/01/2016

(महावीर प्रसाद वर्मा)
संयुक्त शासन सचिव, त.शि.

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री तकनीकी शिक्षा।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा ।
3. निदेशक, तकनीकी शिक्षा, राजस्थान, जोधपुर। कृपया उपरोक्त आदेश वेबसाइट पर अविलम्ब डलवाये जाने की व्यवस्था करावें।
4. अध्यक्ष एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा मण्डल, जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

(अब्दुल रज़ाक)
अनुभागाधिकारी, त.शि.